राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–बसन्त
पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 84/2015
दायरा तिथि 02.06.2015
निर्णय तिथि 13.06.2016

वादी–
छोगा पुत्र पूनमाजी जाति मेघवाल
निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगण–
1–रमेशकुमार पुत्र पुखीयाजी
2–अशोककुमार पुत्र पुखीयाजी
3–महेन्द्रकुमार पुत्र पुखीयाजी
4–पोनीदेवी पत्नी पुखीयाजी
5–मगीदेवी पुत्री पुखीयाजी
तमाम जाति मेघवाल निवासी बसन्त
तहसील सुमेरपुर जिला पाली
6–मूपाराम पुत्र जगमालजी मेघवाल
निवासी छोटावास सांकरणा
तहसील आहोर जिला जालोर
7–राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

दिनांक 13.06.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि उपरोक्त अनबान की पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–बसन्त में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में पक्षकारान मय अधिवक्ता ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया, जिसे बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। लोक अदालत की भावना से हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस वादपत्र के जरिए कतिपय प्रावधानों के तहत सरहद मौजा बसन्त, तहसील सुमेरपुर में स्थित पक्षकारों की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 820/2 रकबा 2.88 हेक्टर किस्म जा.अ.चा.प्र. वार्षिक लगान रू. 102.15 के बारे में वादी के 1/2 हिस्से व प्रतिवादी सं.01 लगाय 06 के 1/2 हिस्से के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ साक्ष्य दस्तावेज क्रमशः नक्शा ट्रेस व जमाबंदी संवत् 2068–72 की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

(2) कि कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर यह पत्रावली विधिक प्रक्रियां कार्यवाही के तहत विचारार्थ रहते आयोजित इस लोक अदालत केम्प में पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि "वादग्रस्त आराजी मौजा बसन्त के खसरा नं. 820/2 रकबा 2.88 हेक्टर का संलग्न बंटवाडा प्रस्ताव विभाजन के लिए सहमत है।" पक्षकारों का उक्त राजीनामा बाद सत्यापन तस्दीक करके रेकर्ड पर लिया जा चुका है और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज एवं उल्लेखित तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी भूमि होना साबित होता है तथा प्रश्नगत् मामले में वर्णित विवाद–बिन्दु पर विचारण करने के पश्चात् हमारा विधिक मत है कि वादग्रस्त भूमि बाबत लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे की इबारत अनुसार संलग्न बंटवाडा प्रस्ताव के अनुरूप वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाना उचित समझते है।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला-पाली

Scanned by CamScanner

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधान के तहत पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे की इबारत अनुसार संलग्न बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुरूप स्वीकार व डिक्री किया जाकर सरहद मौजा बसन्त, तहसील सुमेरपुर में स्थित पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 820/2 रकबा 2.88 हेक्टर किस्म जा.अ.चा.प्र. वार्षिक लगान रू. 102.15 का निम्न रूपेण बंटवाडा किया जाता है–

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	किस्म
(A)	मुपाराम पुत्र जगमाल कौम मेघवाल सा.छोटावास सांकरणा तहसील आहोर	820/2	0.5760	जा.अ.चा.प्र.
(B)	छोगा पुत्र. पुनमा कौम मेघवाल सा.देह खातेदार	820/3	0.6400	जा.अ.चा.प्र.
(C)	रमेशकुमार, अशोककुमार, महेन्द्रकुमार पि.पुखीया, मगीदेवी पुत्री पुखीया, पोनीदेवी पत्नी पुखीया कौम मेघवाल सा.देह खातेदार	820/4	0.8640	जा.अ.चा.प्र.
(D)	छोगा पुत्र. पुनमा कौम मेघवाल सा.देह खातेदार	820/5	0.8000	जा.अ.चा.प्र.

नोटः– राजीनामा के साथ प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय/डिक्री का अभिन्न भाग माना व पढा जायेगा।

तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का बसन्त को आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्णय/डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय/डिक्री बरोज आज दिनांक 13.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प बसन्त में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला–पाली (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner